In the Court of : SUB-JUDGE-I, BAKHRI, BEGUSARAI
Present: MANOJ KUMAR SINGH, CIVIL JUDGE (Sr. Div.)
Title Suit No.-159/1993, CIS Reg. No.- 159/1993

(Scan with eCourts App)
BRBE220000011993

In the matter of-

Kewala Devi & Ors. ……..… Plaintiffs

Vs.

Janaki Devi & Ors. …….. Defendants

Sl.	Date of Order of proceedings	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	19.11.25	अभिलेख प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं०–36(a), 36(b), 36(c) एवं 36 (d) की ओर से सी० पी० सी० के आदेश 1 नियम–10 (2) वो आदेश–6 नियम–16 एवं धारा 151 के तहत दाखिल दो आवेदन दिनांकः–25.06.25 तथा उनके प्रत्युत्तर पर सुनवाई के पश्चात् आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ है। **<u>आदेश</u>** प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं०–36(a), 36(b), 36(c) एवं 36 (d) की ओर से सीपीसी के आदेश 1 नियम–10 (2) वो आदेश–6 नियम–16 एवं धारा 151 के तहत कुसंयोजित मध्यक्षेपक प्रतिवादी सं०–49 अनील महतो के आवेदन दिनांक–01.08.2000 (मध्यक्षेपक बनाये जाने हेतु आवेदन) को खारिज करने एवं कुसंयोजित प्रतिवादी सं०–13 परमानन्द साह व परमानन्द साह से सम्बंधित अन्य क्रेता प्रतिवादियों यथा 36(a), 36(b), 36(c) एवं 36 (d) को इस वाद से मुक्त करने के सम्बन्ध में दाखिल आवेदन दिनांकः–25.06.25 को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि दिनांक–01.08.2000 को अनील महतो पिता–स्व० टुनटुन महतो मध्यक्षेपक प्रतिवादी बनाये जाने हेतु न्यायालय को आवेदन दिया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकृत करते हुए मध्यक्षेपक प्रतिवादी सं०–49 बनाया गया। दिनांक–15.03.2021 को अनील महतो वादग्रस्त जमीन की स्थानीय जाँच हेतु अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु श्रीमान को आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन पत्र के कंडिका–3 में उनके द्वारा उल्लेखित किया गया है कि आवेदक के पिता टुनटुन महतो के द्वारा दिनांक–16.01.1964. एवं 30.09.67 को निम्नांकित जमीन कुल रकवा–1 कट्ठा 5 धुर खतियानी रैयत खुशर महतो वो अकलू महतो के विधिक वारिसान कारू महतो उर्फ करुआ महतो से निम्नांकित जमीन क्रय किया गया था। मौजा — थाना नं० — तौजी नं० — खाता नं० — खेसरा नं० — रकवा बखरी — 157 — 234c — 808 — 2074 — 0–1–5–0 (एक कट्ठा पांच धुर)	

In the Court of : SUB-JUDGE-I, BAKHRI, BEGUSARAI
Present: MANOJ KUMAR SINGH, CIVIL JUDGE (Sr. Div.)
Title Suit No.-159/1993, CIS Reg. No.- 159/1993

(Scan with eCourts App)
BRBE220000011993

In the matter of-

Kewala Devi & Ors. ……..… **Plaintiffs**
Vs.
Janaki Devi & Ors. …….. **Defendants**

Sl.	Date of Order of proceedings	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	Continued **19.11.25**	विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पुनः कहा गया है कि टुनटुन महतो स्वयं अपनी अर्जित उपरोक्त जमीन दिनांक–24.10.1970 को शंकर साह पे०–पन्नू साह व सरवेश कुमार साह पे०–बलदेव साह साकिन–बखरी को अपने अर्जित जमीन कुल रकवा–1 क० 5 धूर वाजदावीनामा कर दिया, जिसका विवरण निम्न हैः– मौजा थाना नं० तौजी नं० खाता नं० खेसरा नं० रकवा बखरी 157 234c 808 2074 0–1–5–0 (एक कट्ठा पांच धुर) चौहद्दीः– उ०–गंगाशरण प्रसाद, द०–खेसरा हाजा मोकिर अलेह पू०–खेसरा मोकिर अलह, प०–सड़क उक्त डीड के मजमून में उनके द्वारा अंकित किया गया है कि दिनांक–16.1.1964 एवं दिनांक–30.9.67 को कारू महतो पे०–वाबन महतो से जमीन खरीदने के पश्चात् जब पता चला कि दादा ने पहले ही जस्सो महतो को केवाला कर दिया था फिर जस्सो महतो ने रामाधीन झा को केबाला कर दिया था, फिर रामाधीन झा दिनांक–23.1.1936 को परमानन्द साह साकिन–बखरी को रजिस्ट्री कर दिया था, इस तरह कभी भी दखल कब्जा, किसी तरह का सरोकार मनमोकिर टुनटुन महतो को नहीं रहा। खतियानी रैयत के वारिसान कारू महतो की पत्नी चम्पा देवी एवं उनके पुत्र चन्द्रदेव महतो व कपिलदेव महतो भी सी० पी० सी० के आदेश–1 नियम 10 (2) एवं धारा–151 के तहत मध्यक्षेपक प्रतिवादी बनाये जाने हेतु इस न्यायालय में आवेदन दिया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा अपने पारित आदेश दीनांक–18.10.2001 के द्वारा उक्त आवेदन को खारिज कर दिया गया है। न्यायालय ने अपने पारित आदेश की कंडिका–9 में उद्धृत किये है कि– "in the light of the fact and circumstances of the case I am of the view that right and title of the petitioners cannot be decided in the present suit and accordingly I do not find merit in the petition dated 31-07-2001 filed on behalf of petitioners Champa Devi]	

In the Court of : SUB-JUDGE-I, BAKHRI, BEGUSARAI
Present: MANOJ KUMAR SINGH, CIVIL JUDGE (Sr. Div.)
Title Suit No.-159/1993, CIS Reg. No.- 159/1993

(Scan with eCourts App)
BRBE220000011993

In the matter of-

Kewala Devi & Ors. ………… Plaintiffs

Vs.

Janaki Devi & Ors. …….. Defendants

Sl.	Date of Order of proceedings	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	Continued **19.11.25**	Chandradeo Mahto and Kapildeo Mahto and accordingly under order stand rejected" विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पुनः कहा गया है कि यह विचारणीय बिंदु है कि जब खतियानी रैयत के वारिसान कारू महतो की पत्नी चम्पा देवी और पुत्र चन्द्रदेव महतो व कपिलदेव महतो को इस वाद में मध्यक्षेपक प्रतिवादी बनने का कोई अधिकार नहीं है तो कारू महतो से क्रय किये गये जमीन के क्रेता के पुत्र अनील महतो को मध्यक्षेपक प्रतिवादी बनने का क्या अधिकार होगा फिर कारू महतो से टुनटुन महतो द्वारा अर्जित जमीन को टुनटुन महतो द्वारा ही उक्त जमीन का वाजदावी कर दिए जाने के पश्चात् टुनटुन महतो के पुत्र अनील महतो को किस जमीन पर मध्यक्षेपक प्रतिवादी बनाया जाना न्यायसंगत होगा। जो बिल्कुल ही अनुचित है। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आगे कहा गया है अधिवक्ता आयुक्त श्री उमेश प्रसाद द्वारा जब विवादास्पद स्थल का निरीक्षण किया जा रहा था तब उस विवादास्पद जमीन पर अवस्थित न तो किसी किरायेदार दुकानदार द्वारा ही मध्यक्षेपक प्रतिवादी अनील महतो को किराये देने के संबंध में समर्थन किया गया और न स्थल पर उपस्थित किसी व्यक्ति द्वारा ही उक्त जमीन पर इनका दखल–कब्जा होने की पुष्टि ही की गयी जो अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है। वाद पत्र कंडिका–3 में वादी द्वारा अंकित किया गया है :– "That during the jointness of family land under khata no-808 khesra no-2074,2075 Area-1 bigha 5 kattha 15 dhurs was purchased by said joint family through registered kebala dated 21-01-1936 in the name of Deo narayan Sah minor son of Bahor Sah and Parmanand Sah minor son of Maya ram Sah from the joint family fund. The joint family came in actual possession over khesra no-2074 and 2075" वद–पत्र में दिये वंशावली से विचारणीय बिंदु यह है कि मायाराम साह के पुत्र परमानन्द साह, नागेश्वर साह, जदूनन्दन साह जयनारायण साह, सुरेश साह व विशेश्वर साह, भगलू साह के पुत्र बहोर साह व गंगाराम साह से बिल्कुल अलग–अलग है जो आधा–आधा हिस्सा यानि 1 बीघा 5 कट्ठा 15 धुर का आधा हिस्सा 12 कट्ठा 17 धुर 10 धुरकी का हकदार है। वादी केवला देवी पति–रामसागर साह का हिस्सा बहोर साह या बहोर साह के पुत्र के हिस्सा में हो सकता है या नहीं भी हो	

In the Court of : SUB-JUDGE-I, BAKHRI, BEGUSARAI
Present: MANOJ KUMAR SINGH, CIVIL JUDGE (Sr. Div.)
Title Suit No.-159/1993, CIS Reg. No.- 159/1993

(Scan with eCourts App)
BRBE220000011993

In the matter of-

Kewala Devi & Ors. ………..… Plaintiffs
Vs.
Janaki Devi & Ors. …….. Defendants

Sl.	Date of Order of proceedings	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	Continued 19.11.25	सकता है यह माननीय न्यायालय के न्यायिक निर्णयन पर निर्भर करता है लेकिन केबला देवी का हिस्सा मायाराम साह या मायाराम साह के पुत्रो को मिली हिस्सा 12 कट्ठा 17 धुर 10 धुरकी में नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में मायाराम साह या मायाराम साह के सभी छह पुत्रों एवं उनके पुत्रों से क्रय किये गये प्रतिवादी सं०–36(a), 36(b), 36 (c) एवं 36 (d) को इस वाद में प्रतिवादी बनाया जाना समीचीन एवं न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है जो वाद की जटिलता को परिलक्षित करता है। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दूसरे आवेदन को प्रचालित करते हुए कहा गया कि वादी द्वारा इस वाद में रामविलास अग्रवाल को Suit framing के समय पक्षकार नहीं बनाया गया था, बल्कि मात्र 31 व्यक्तियों को ही पक्षकार बनाया गया था, जो यथोचित था। दिनांक 12.03.96 को वादी द्वारा संशोधित आवेदन न्यायालय को दिया गया था, जिसके विरुद्ध अन्य प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 30.03.96 को प्रतिउत्तर दिया गया था, जिसके कंडिका–5 में अंकित है कि "That the proposed defendants 32 to 47 have no any manner of concern with the land in question as such there addition as defendants will unnecessarily prolong the litigation" फिर भी अर्जी में संशोधन कर क्र० सं०–36 पर राम विलास अग्रवाल का नाम जोड़कर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया, जो सर्वथा गलत है। राम विलास अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 21.11.2021 को अकस्मात हो गयी। राम विलास अग्रवाल के मृत्यु के पश्चात उनके स्थान पर उनके विधिक उत्तराधिकारी पुत्री/पुत्र क्रमशः 36 (a) अनुराधा कुमारी 36 (b) रूपम कुमार 36 (c) अमन कुमार एवं 36 (d) चंदन कुमार को प्रतिस्थापित प्रतिवादी बनाया गया है, जो यथोचित नहीं है। वादी के पूर्वजों के वंशावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि रंगू साहू को 3 पुत्र थे (1) भगलू साहू (2) मायाराम साहू एवं (3) सौरवी साहू (नावल्द)। रंगू साहू की मृत्यु के पश्चात दिनांक 01.09.1940 को उन तीनों पुत्रों के बीच सम्पूर्ण पारिवारिक सम्मिलित सम्पति का न्यायालय द्वारा बंटवारा होकर तीनों अलग–अलग हो गए और अपने–अपने परिवार का कर्ता–धर्ता व प्रबंधक बने, जिसमे विवादित जमीन का उक्त बंटवारा में कहीं कोई जिक्र नहीं है, और न किसी भी अन्य वादी/प्रतिवादी द्वारा उक्त विवादित जमीन को भी बंटवारा कराने	

In the Court of : SUB-JUDGE-I, BAKHRI, BEGUSARAI
Present: MANOJ KUMAR SINGH, CIVIL JUDGE (Sr. Div.)
Title Suit No.-159/1993, CIS Reg. No.- 159/1993

(Scan with eCourts App)
BRBE220000011993

In the matter of-

Kewala Devi & Ors. ……..… Plaintiffs
Vs.
Janaki Devi & Ors. …….. Defendants

Sl.	Date of Order of proceedings	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	Continued **19.11.25**	हेतु उक्त सम्मिलित बंटवारा दिनांक 01.09.1940 में ना लाने का प्रयास ही किया गया है और ना लाया ही गया। इससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उक्त विवादित जमीन सम्मिलित जमीन का हिस्सा नहीं था, बल्कि भगलू साह के पुत्र बहोर साहू और मायाराम साहू अपने–अपने सह स्वामित्व के तहत अपने–अपने पुत्र देवनारायण साहू व परमानंद साहू के नाम से दिनांक 24.04.1936 को निबंधित केवाला द्वारा प्राप्त किये थे जो उनका निजी जमीन था जिसपर उनका शांतिपूर्ण दखल–कब्जा व जोत–आवाद व किराया वसूली निर्विघ्न रूप से चला आ रहा था, विवादित जमीन का विवरण निम्न है :–	

मौजा	थाना नं०	तौजी नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकवा
बखरी	157	234c	808	2075	1–02–16–0
	115B			2074	0–02–19–0
					01–05–15–0

(एक बीघा पाँच कट्ठा पन्द्रह धूर)

उपरोक्त रकवा से स्पष्ट है कि उल्लेखित विवादित खाता–खेसरा की जमीन का आधा हिस्सा यानी 12 कट्ठा 17 धुर 10 धुरकी देवनारायण साहू एवं आधा हिस्सा 12 कट्ठा 17 धुर 10 धुरकी परमानंद साहू का हिस्सा हुआ। वादी केवला देवी के पति राम सागर साहू थे एवं राम सागर साहू के पिता गंगा राम साहू थे, इस प्रकार गंगाराम साहू और देवनारायण साहू, सहोदर भाई हुए। ऐसी स्थिति में वादी केवला देवी का कोई हक हिस्सा व स्वत्व का सवाल देवनारायण साहू के साथ होने की संभावना बन सकती है, न कि परमानंद साहू के साथ, क्योंकि परमानंद साहू के पिता मायाराम साहू और बहोर साहू में चाचा–भतीजा का संबंध है और चाचा मायाराम साहू एवं भतीजा बहोर साहू द्वारा अपने–अपने स्वामित्व के तहत अपने–अपने पुत्र क्रमशः देवनारायण साहू एवं परमानंद साहू के नाम से विवादित जमीन का क्रय किया गया था । वादी केवला देवी भी अपने वाद पत्र के कंडिका–7 में उल्लेखित की है कि–"Plaintiff inherited four annas share of Ganga Ram sahu" साथ ही कंडिका–8 में भी उल्लेखित की है कि – "The plaintiff came to 4 annas and share of Deo Narayan and Vgar Narayan sah came to 4 annas and share of Parmanand Sah and his five Brothers

In the Court of : SUB-JUDGE-I, BAKHRI, BEGUSARAI
Present: MANOJ KUMAR SINGH, CIVIL JUDGE (Sr. Div.)
Title Suit No.-159/1993, CIS Reg. No.- 159/1993

(Scan with eCourts App)
BRBE220000011993

In the matter of-

Kewala Devi & Ors. ……..… Plaintiffs
Vs.
Janaki Devi & Ors. …….. Defendants

Sl.	Date of Order of proceedings	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	Continued **19.11.25**	came to 8 Annas" उपरोक्त दोनों कंडिकाओं से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि–वादी केवला देवी का हिस्सा देव नारायण साहू में है जो केवला देवी को नहीं दी जा रही है। परमानंद साहू में न उनका कोई हिस्सा है और न वादी कोई दावा ही कर रही है अर्थात देवनारायण साहू जो आठ आना हिस्सा रखे हुए है उसमे से 4 आना केवला देवी अपनी हिस्सा मांग रही है। परमानन्द साहू अपने सभी सगे पाँच भाइयों के साथ उक्त जमीन 12 कट्ठा 17 धुर 10 धुरकी में से दिनांक 26.06.1970 को 9 कट्ठा 13 धुर 10 धुरकी जमीन शंकर साहू पे०–पन्नू साहू एवं नावालिग सरवेश कुमार साहू पे०–बलदेव साहू को निबंधित केवाला द्वारा रजिस्ट्री कर दिए, रजिस्ट्री के पश्चात 4 कट्ठा 16 धुर 15 धुरकी पर शंकर साहू पे०– पन्नू साहू का और 4 कट्ठा 16 धुर 15 धुरकी पर सरवेश कुमार साहू पे०–बलदेव साहू का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा जोत–आवाद व स्वामित्व प्राप्त हुआ, जो जारी है। नावालिग सरवेश कुमार साहू की माता मो० शारदा देवी पति–बलदेव साहू दिनांक 30.09.81 को अपने हिस्सा की जमीन 4 कट्ठा 16 घुर 15 धुरकी में से 1 कट्ठा 4 घुर 3 धुरकी 15 फुरकी जमन डीड सं०–16129 द्वारा राम विलास अग्रवाल पे०–बलदेवराम अग्रवाल को और पुनः 1 कट्ठा 4 धुर 3 धुरकी 15 फुरकी जमीन रेणु देवी पति–रामविलास अग्रवाल को डीड दिनांक 30.09.81 द्वारा रजिस्ट्री कर दिए। रामविलास अग्रवाल और रेणु देवी रजिस्ट्री के पश्चात उक्त जमीन पर शांतिपूर्ण दखल–कब्जा व स्वामित्व में आये तथा अपने–अपने जमीन पर मकान का निर्माण कर किराये पर लगाकर व खुद आवास के रूप में रहकर बिना किसी विघ्न–बाधा के व रोक–टोक उपयोग में उपभोग करते आ रहे हैं। इस प्रकार वादी केवला देवी को न तो रामविलास अग्रवाल से न तो उसकी पत्नी रेणु देवी से, न सरवेश कुमार साहू तथा माता शारदा देवी से और न परमानन्द साहू पे०–मायाराम साहू से कोई हक–हकियत या दावा रखती है या करती है, बल्कि दावा देवनारायण साहू के साथ रखती है या वाद लायी गई है। जो वाद पत्र के कंडिका–7 एवं 8 से पूर्ण रूपेण स्पष्ट है। इसी परिपेक्ष्य में पूर्व में वादी द्वारा केवल 31 व्यक्तियों को ही प्रतिवादी बनाया गया था जो सर्वथा उचित था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना किया गया कि मध्यक्षेपक प्रतिवादी सं०–49 अनील महतो के बेबुनियाद व आधारहीन आवेदन को नैसर्गिक	

In the Court of : SUB-JUDGE-I, BAKHRI, BEGUSARAI
Present: MANOJ KUMAR SINGH, CIVIL JUDGE (Sr. Div.)
Title Suit No.-159/1993, CIS Reg. No.- 159/1993

(Scan with eCourts App)
BRBE220000011993

In the matter of-

Kewala Devi & Ors. ……..… **Plaintiffs**

Vs.

Janaki Devi & Ors. …….. **Defendants**

Sl.	Date of Order of proceedings	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	Continued **19.11.25**	न्याय के हित में खारिज करने की कृपा की जाय साथ ही मायाराम साह के पुत्रों एवं उनके पुत्र परमानन्द साह से क्रय किये गए जमीन के प्रतिवादी सं०–36 क्रेता राम विलास अग्रवाल व उनकी पत्नी रंजू देवी के स्थान पर उनके द्वारा प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं०–36(a), 36(b), 36(c) एवं 36(d) को इस वाद से मुक्त करने की कृपा की जाय, ताकि वाद का निराकरण यथाशीघ्र की जा सके तथा प्रतिस्थापित प्रतिवादी को अनावश्यक परेशानी और आर्थिक क्षति से मुक्ति मिल सके। मध्यक्षेपक प्रतिवादी सं0 49 अनिल महतो की ओर से हस्तगत आवेदन पर प्रत्युत्तर दिनांक 09.07.25 आपत्ति दर्ज कराई गई तथा कहा गया कि संदर्भित आवेदन, जैसा कि दायर किया गया है, कानून या तथ्यों के आधार पर बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, इसलिए यह विचारणीय नहीं है और सीधे तौर पर खारिज किए जाने योग्य है। संदर्भित आवेदन न तो सत्यापित है और न ही हलफनामे द्वारा समर्थित है, इसलिए इसमें कोई बल नहीं है और यह तुरंत खारिज किए जाने योग्य है। संदर्भित आवेदन में दो प्रार्थनाएं की गई हैं इसलिए यह सिविल कोर्ट रुल के नियम 19 के तहत निर्धारित प्रावधान के प्रकाश में स्वीकार्य नहीं है जो इस प्रकार है : "19. अलग–अलग विषयों के संबंध में आवेदन अलग–अलग याचिकाओं में किए जाएंगे"। यहां इस तथ्य का उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि संदर्भित आवेदन में सबसे पहले हस्तक्षेपकर्ता प्रतिवादी संख्या 49 अनिल महतो की निराधार आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना की गई है और दूसरी बात यह है कि प्रतिस्थापित प्रतिवादी संख्या 36 (ए) से 36 (डी) का नाम हटाने की प्रार्थना की गई है इसलिए केवल इस आधार पर संदर्भित आवेदन कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं है। ओरहुल देवी और अनिल महतो की ओर से सीपीसी की धारा 151 के साथ आदेश 1 नियम 10 (2) के तहत 3–2–2000 को एक आवेदन दायर किया गया था, जिसके खिलाफ रिजॉइंडर दायर किए गए थे और मुकदमे के सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद, विद्वान न्यायालय ने 01–8–2000 के अपने आदेश के तहत उक्त आवेदन को अनुमति देने की कृपा की थी और तदनुसार उक्त ओरहुल देवी और अनिल महतो ने वाद में हस्तक्षेपकर्ता–प्रतिवादी को इस निर्देश के साथ शामिल किया कि वे दिनांक 3–2–2000 की आवेदन के आलोक में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करें	

In the Court of : SUB-JUDGE-I, BAKHRI, BEGUSARAI
Present: MANOJ KUMAR SINGH, CIVIL JUDGE (Sr. Div.)
Title Suit No.-159/1993, CIS Reg. No.- 159/1993

(Scan with eCourts App)
BRBE220000011993

In the matter of-

Kewala Devi & Ors. ………..… **Plaintiffs**

Vs.

Janaki Devi & Ors. …….. **Defendants**

Sl.	Date of Order of proceedings	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	Continued 19.11.25	और वाद के पक्षकारों द्वारा जिरह करें और उक्त आदेश के अनुसार अनिल महतो वाद में प्रतिवादी संख्या 49 के रूप में शामिल हुए और यह आदेश पुष्ट आदेश है क्योंकि वाद में किसी भी पक्षकार द्वारा किसी भी न्यायालय में कोई पुनरीक्षण या अपील दायर नहीं की गई थी। संदर्भित याचिका के सभी कथन पूरी तरह से शरारतपूर्ण, परेशान करने वाले और दुर्भावनापूर्ण हैं और प्रतिवादी संख्या 36(ए) से 36(डी) के बेईमान इरादे का परिणाम हैं, केवल इस हस्तक्षेपकर्ता प्रतिवादी संख्या 49 के वैध अधिकार और हक को खत्म करने के लिए न्याय की दृष्टि से संदर्भित आवेदन को सिरे से खारिज करना समीचीन है। प्रतिवादी संख्या–2(A), 2(B), 2(C), एवं 3 की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 16.07.25 के माध्यम से आवेदन दिनांक 25.06.25 का विरोध करते हुए कहा गया कि प्रतिवादी संख्या–36(a), 36(b), 36(c) एवं 36(d) ने दिनांक–25.06.2025 को अपना नाम कटवाने के लिए आवेदन दाखिल किया है, जो कानूनी रूप से पोषनीय नहीं है। उपर्युक्त वर्णित प्रतिवादी ने कानून के गलत प्रावधानों के तहत यह आवेदन दाखिल किया है। जो कि कानूनी रूप से गलत है । प्रतिवादी ने अपने आवेदन को आदेश–6 नियम–16 एवं धारा 151 में भी दाखिल किया है जबकि इन धाराओं में ऐसा आवेदन देना सन्निहित नहीं है। उक्त आवेदन में प्रतिवादी ने वादी के मेल में आकर वादी तथा अन्य प्रतिवादी के बँटवारा के सम्बन्ध में गलत ब्यान दिया है। प्रतिवादी ने आवेदन के कंडिका–5 एवं 6 एवं 7 में इस प्रतिवादी को नुकसान पहुँचाने के लिए वादी के मेल में आकर गलत ब्यान दिया है। प्रतिवादी सं०– 2[A], 2[B], 2[C] एवं 3 को प्रतिवादी सं०–36(a), 36(b), 36(c) एवं 36(d) से कोई लालच या सरोकार नहीं है। अतः इन प्रतिवादियों को वर्तमान वाद से मुक्त करने पर प्रतिवादी संख्या 2[A], 2[B], 2[C] ,व 3 की कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी का आवेदन दिनांक–25.06.25 न ही सत्यापित है और न ही शपथ पत्र के द्वारा समर्थित नहीं है। परमानन्द साह व देवनारायण साह ने शादी के सलामी के पैसा से खरीद की है दोनों का शादी एक ही दिन हुआ, शादी का सलामी के रूपये से जमीन खरीद किये है। प्रतिवादी सं०–2[A], 2[B], 2[C] ,व 3 के दादा के नाम से केवाला है । केवाला द्वारा अर्जित जमीन है जिसकी कुल रकवा–एक बीघा पाँच कट्ठा पन्द्रह धुर है। जो रामाधीन झा उर्फ रामजी झा	

In the Court of : SUB-JUDGE-I, BAKHRI, BEGUSARAI
Present: MANOJ KUMAR SINGH, CIVIL JUDGE (Sr. Div.)
Title Suit No.-159/1993, CIS Reg. No.- 159/1993

(Scan with eCourts App)
BRBE220000011993

In the matter of-

Kewala Devi & Ors. ………… Plaintiffs
Vs.
Janaki Devi & Ors. …….. Defendants

Sl.	Date of Order of proceedings	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	Continued 19.11.25	पेसर–दुखिया झा खुद व बोली जानिव उमाकांत झा व राजेश्वर झा पेसरान–नावालिग रामाधीन झा पैदर बोली व चन्द्रशेखर झा नावालिग पेसर–देवी झा वो आनंत झा को विश्वनाथ झा वो नन्दकिशोर झा पेसरान–रामाधीन झा साकिन– मौजा–बखरी प्रगना–बलिया सबडिविजन व सबरजिस्ट्री–बेगूसराय जिला–मुंगेर बहक परमानन्द साह पेसर–मायाराम साह व देवनारायण साह पेसर–बहोर साह साकिन–मौजा–बखरी, प्रगना–बलिया सबडिविजन व सबरजिस्ट्री–बेगूसराय, जिला–मुंगेर द्वारा दिनांक–23.01.1936 को हासिल है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी सं०–36(a), 36(b), 36(c) एवं 36 (d) की ओर से दाखिल आवेदनों दिनांकः–25.06.25 को खर्चा के साथ खारिज करने की प्रार्थना की गई। वादी की ओर से हस्तगत आवेदन पर प्रत्युत्तर दिनांक 09.07.25 आपत्ति दर्ज कराई गई तथा कहा गया कि दिनांक–25.06.25 को प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन पोषनीय नहीं है। प्रतिवादी द्वारा मध्यक्षेपक प्रतिवादी अनिल महतो के विरुद्ध किये गए कथन विधिक विरुद्ध रूप से सही हो सकता है परन्तु वादी व अन्य प्रतिवादी के विरुद्ध हक व हिस्सा के सवाल पर किये गए कथन बिल्कुल अस्वीकार है। प्रतिवादी ने अपने आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत बाद के मेरिट पर न्यायालय से आदेश पारित करवाने का चेष्टा किया है, जो वर्त्तमान परिपेक्ष्य में किसी भी दृष्टिकोण से पोषनीय नहीं है। प्रतिवादी का प्रस्तुत आवेदन न सिर्फ चिढ़ाऊ है बल्कि यह समय नष्टकारी आवेदन भी है। प्रतिवादी जानबूझकर प्रस्तुत मुकदमा को वर्षों तक और लंबित रखवाना चाहते है, जो न्यायहित में नहीं है। वादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना है कि मध्यक्षेपक प्रतिवादी अनिल महतो का नाम विलोपित किया जाय, परन्तु प्रतिवादी के आवेदन को वर्णित अन्य तथ्य व अनुतोष को खारिज करने का कृपा किया जाय। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 01.08.2000 से अनील महतो पिता–स्व० टुनटुन महतो को मध्यक्षेपक प्रतिवादी सं०–49 बनाया गया। प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं०–36(a), 36(b), 36(c) एवं 36(d) हस्तगत आवेदन के माध्यम से उक्त आदेश का पुनर्विलोकन इस	

Schedule XLII-High Court(J) 19 [Old (M)164]

In the Court of : SUB-JUDGE-I, BAKHRI, BEGUSARAI
Present: MANOJ KUMAR SINGH, CIVIL JUDGE (Sr. Div.)
Title Suit No.-159/1993, CIS Reg. No.- 159/1993

(Scan with eCourts App)
BRBE220000011993

In the matter of-

Kewala Devi & Ors. ……..…. **Plaintiffs**

Vs.

Janaki Devi & Ors. …….. **Defendants**

Sl.	Date of Order of proceedings	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	Continued **19.11.25**	न्यायालय द्वारा कराना चाहते हैं जो कि परिसीमा अवधि के बीत जाने के कारण वाद की प्रक्रिया के इस पड़ाव पर न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त आदेश एक पुष्ट आदेश है क्योंकि इसके विरुद्ध वाद के किसी भी पक्षकार द्वारा किसी भी न्यायालय में कोई पुनरीक्षण या अपील दायर नहीं की गई थी। जहाँ तक मृत प्रतिवादी सं०—36 के स्थान पर न्यायालय के ओदश दिनांक 25.07.22 के द्वारा प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं०—36(a), 36(b), 36(c) एवं 36(d) को कुसंयोजन के आधार पर इस वाद से मुक्त करने का प्रश्न है वादी के द्वारा अपने प्रत्युत्तर के माध्यम से इसका विरोध किया गया है। किसी पक्षकार का कुसंयोजन विचारण का विषय होता है जिसका विनिश्चयन विवाद्यक—बिन्दु के निर्धारण के माध्यम से किया जाना होता है। मात्र यह कहना कि प्रतिस्थापित प्रतिवादिगण आवश्यक पक्षकार नहीं हैं, वाद से उन्हें स्वतः मुक्त करने का आधार नहीं बनता, विशेष रूप से तब जब वादी का यह कथन है कि विवाद के समुचित एवं प्रभावी निर्णय हेतु उनकी उपस्थिति आवश्यक है। प्रतिस्थापित प्रतिवादिगण द्वारा दायर आवेदन वस्तुतः वाद के गुण—दोष में गए बिना स्वयं को मुक्त कराने का प्रयास है, जो विधिसम्मत नहीं है। यदि उनके पास कोई स्वतंत्र प्रतिरक्षा है, तो वह उसे लिखित कथन एवं साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। अतः वाद के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं०—36(a), 36(b), 36(c) एवं 36 (d) के दोनों आवेदनों दिनांकः—25.06.25 को ***अस्वीकृत*** किया जाता है तदनुसार उन्हें निष्पादित किया जाता है। दिनांकः—...................वास्ते अग्र कार्रवाई । **(Manoj Kr Singh)** **Sub-Judge-I, Bakhri, Begusarai.**	